**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**Original Application No. 62 of 2025**

**IN THE MATTER OF:-**

Kiran Pal …Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. …. Respondent(s)

**INDEX**


| S.NO. | PARTICULARS | PAGE NOS. |
|---|---|---|
| 1. | Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance of the order dated 20.05.2025 passed by the Hon'ble Court. | **1-3** |
| 2. | **ANNEXURE R1/1:**<br>A true copy of the office order dated 28.03.2025 | **4** |
| 3. | **ANNEXURE R1/2:**<br>A true copy of the inspection report dated 07.05.2025 | **5** |
| 4. | **ANNEXURE R1/3 (COLLY)**<br>A true copy of the letter dated 07.07.2025 | **6-7** |


**Uttar Pradesh Pollution Control Board**

**Through**


**Amit Shukla Advocate**
Office at : D-54, Sector-48
NOIDA – 201303
Email: amitshukla@lexweb.in
Mob. No. 9999333220


**Date: 19.09.2025**
**Place: New Delhi**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**Original Application No. 62/2025**

**IN THE MATTER OF:**

**Kiran Pal** …… **Applicant**

**Versus**

**State of Uttar Pradesh & Ors.** ......**Respondent**

**RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 20.05.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

I, Pankaj Yadav S/o Shri Lalmani Yadav, aged about 44 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Mathura (hereinafter referred to as UPPCB), I do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That Hon'ble Tribunal vide earlier order dated 12.02.2025 has passed following direction:

   *"....5. Issue Notice to the Respondents for filing their reply by way of affidavit. The applicant is directed to serve the Respondent and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.*

NOTARIAL STAMP Rs 10
Ramvir Singh
Advocate Notary
Distt. Court. Mathura

R.D.

*6. The District Magistrate, Mathura, is directed to ensure that Respondent No. 3 brick kilns does not operate in violation of the law."*

3. That In compliance of the above order dated 12.02.2025 of Hon'ble Tribunal, District Magistrate, Mathura vide office order dated-28.03.2025 has constituted following committee comprising:

   i. Sub Divisional Magistrate, Tehsil-Chhata

   ii. Mining Officer, District-Mathura

   iii. Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mathura.

   A true Copy of the office order dated-28.03.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R/1.**

4. That the above committeehas conducted the site inspection of the brick field M/s Pari Ent Udyog, Khasra No. 50, village-Ench, Tehsil-Chhata, District Mathura on 05.04.2025 and 06.05.2025. During the course of inspections dated 05.04.2025 and 06.05.2025 the brick kiln was found not operational.

   A true Copy of the inspection report is annexed herewith and marked as **Annexure R/2.**

5. That UPPCB vide letter dated 07.07.2025 has imposed Environmental Compensation of Rs. 4,25,000/- (Rs. Four Lakh Twenty-Five Thousand Only).

   A true copy of letter dated 07.07.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R/3**

19.9.25

**DEPONENT**

*3*

**VERIFICATION:**

Verified at Mathura on this the day 19 September, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

**DEPONENT**

NOTARY GOVT. OF INDIA

The contents of the affidavit document read over and explain to Shri Swho is identified by Shri on oath attested to day on S.No. has been registered at my office and charged fees Rs.

Ramvir Singh
Advocate Notary
Distt. Co... Mathura

# कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा। R-1 [redacted]

पत्रांकः 1404/उ0प्र0प्र0नि0बो0/2024

दिनांक– 28 मार्च, 2025

**–कार्यालय आदेश–**

**विषय–** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–62/2025 "किरनपाल बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य" में पारित आदेश दिनांक–12.02.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–62/2025 "किरनपाल बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य" में पारित आदेश दिनांक–12.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पारित आदेश के मुख्य अंश निम्वत् हैं–

"....4. He has submitted that inspite of the above orders and the closure order, the brick kiln is now again operating.

5. Issue Notice to the Respondents for filing their reply by way of affidavit. The applicant is directed to serve the Respondent and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

6. The District Magistrate, Mathura, is directed to ensure that Respondent No. 3 brick kilns does not operate in violation of the law."

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मै0 परी ईंट उद्योग, खसरा सं0–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, मथुरा का निरीक्षण एवं अद्यतन आख्या हेतु निम्नलिखित टीम का गठन किया जाता है:–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
3. जिला खान अधिकारी, खनन विभाग, मथुरा।

उक्त टीम को आदेशित किया जाता है कि संदर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण कर आख्या 01 सप्ताह में प्रेषित करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

प्रतिलिपि– सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मथुरा।

DM Sir Office order.D

**ANNEXURE R1/2**

5

[redacted] R-2

**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–62/2025 "किरनपाल बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य" में पारित आदेश दिनांक–12.02.2025 अनुपालन के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।**

उपरोक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–62/2025 "किरनपाल बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य" में पारित आदेश दिनांक–12.02.2025 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा के पत्रांक 1404/उ0प्र0प्र0नि0बो0/2024 दिनांक–28.03.2025 द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा सन्दर्भित ईट भट्ठा मै0 परी ईट उद्योग, खसरा सं0–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, मथुरा का निरीक्षण पूर्व में दिनांक–05.04.2025 एवं दिनांक–06.05.2025 को संयुक्त रूप से किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्दी आदेश प्रभावी होने के कारण बन्द पाया गया। ईट भट्ठा स्वामी श्री नेमचन्द उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. संदर्भित ईट भट्ठा मै0 परी ब्रिक्स उद्योग, खसरा सं0–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा में टी0टी0जेड0 सीमा के बाहर स्थापित है।
2. संदर्भित ईट उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक–118874/UPPCB/Mathura(UPPPCBRO)/CTE/MATHURA/2021 दिनांक–27.01.2021 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
3. ईट भट्ठे द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग करके ईट का उत्पादन किया जाता है। ईट भट्ठा 16 पाये (जिग–जैग) का है। ईट की उत्पादन क्षमता 20000 प्रति/दिन बताई गयी।
4. संदर्भित ईट भट्ठा जिग–जैग (डाइड्रा) पद्धति पर आधारित है।
5. ईट भट्ठे द्वारा प्लेटफार्म, पोर्टहॉल, सीढ़ी, बाउण्ड्रीवॉल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में सेटलिंग चैम्बर स्थापित है।
6. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–93/2021 "मुकेश कुमार अग्रवाल बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक–21.12.2021 के अनुपालन में ईट भट्ठे का निरीक्षण संयुक्त टीम द्वारा दिनांक–16.03.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार संदर्भित ईट भट्ठे के चारों ओर 10 मी0 चौड़ी पट्टिका अथवा 3.0 मी0 ऊँची दीवार (प्रवेश एवं निकास छोडकर) नहीं बनायी गयी है। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पक्की/मैटलिक रोड़ की स्थापना नहीं की गयी है। ईट भट्ठे से होने वाले फ्लू गैस उत्सर्जन की नमूने एकत्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप सीढ़ी, मॉनिटरिंग प्लेटफार्म की व्यवस्था नहीं की गयी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 73537/सी–4/ईट–890/बन्दी आदेश/2022 दिनांक–29.03.2022 द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है।
7. संदर्भित ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच 77250/सी–4/ईट–890/2022 दिनांक–16.06.2022 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक–28.04.2022 कुल 01 दिन डिफाल्टर मानते हुए रू0–12,500/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रू0–12,500/– (रू0 बारह हजार पाँच सौ) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।
8. संदर्भित ईट भट्ठे पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0–12,500/– को ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक–13.02.2025 को ईट भट्ठे स्वामी द्वारा जमा करा दिया गया है।
9. ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक–1192/एनओसी–2070/2025 दिनांक–22.01.2025 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को आख्या प्रेषित की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

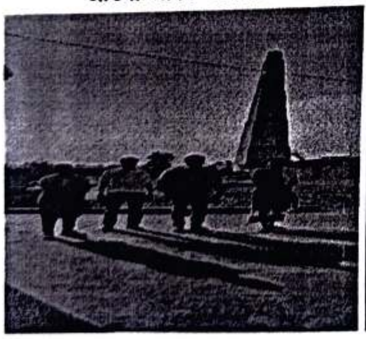

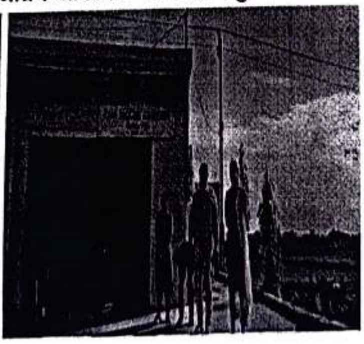

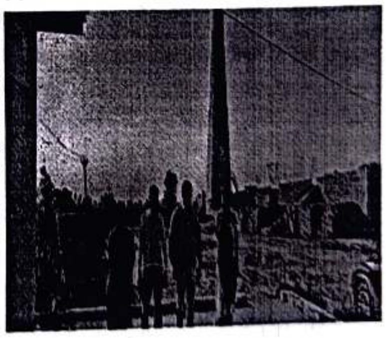

(अक्षय कुमार)
खान निरीक्षक,
मथुरा।

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

(श्वेता) 07/05/25
उप जिलाधिकारी,
तहसील–छाता, मथुरा।

**ANNEXURE R/3**



CHLUWPRDL/2347/2025-CIR4-UPPCB

R-3

I/201393/2025

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
# UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक H29870 /सी–4/ईंट–890/पर्या० क्षति०/2025. दिनांक : 7-7-25

मै० परी ईंट उद्योग,
खसरा सं०–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता,
जनपद–मथुरा।

यह कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच29138/सी–4/ईंट–890/का०अ०नो०–पर्या०क्षा०/2025 दिनांक 12.06.2025 के माध्यम से मै० परी ईंट उद्योग, खसरा सं०–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गाइडलाइन में वर्णित सूत्र EC=PIxNxRxSxLF के अनुसार EC=50x1x250x0.5x1.0=6,250/- मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 08.04.2023 से दिनांक 14.06.2023 तक अर्थात 68 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू० 4,25,000/- (रूपया चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जो कि वर्तमान में प्रभावी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा पूर्व में प्रेषित आख्या दिनांक 21.05.2025 में संदर्भित ईंट भट्ठे के औचक निरीक्षण दिनांक 14.06.2023 के समय उपस्थित प्रतिनिधि श्री नेमचन्द, पार्टनर द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठा में फुकाई का कार्य दिनांक 08.04.2023 से किया गया है। उक्त ईंट भट्ठे पर पूर्व से बन्दी आदेश दिनांक 29.03.2022 प्रभावी होने के फलस्वरूप बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए ईंट भट्ठा संचालित पाये जाने के दृष्टिगत ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 08.04.2023 से दिनांक 14.06.2023 तक विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार EC=50x1x250x0.5x1.0= 6,250/- प्रतिदिन की दर से कुल दिवस हेतु कुल रू० 6,250X68= 4,25,000/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी थी। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 12.06.2025 के माध्यम से संदर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 08.04.2023 से दिनांक 14.06.2023 तक कुल 68 उल्लंघन दिवसों हेतु रू० 4,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा प्रेषित नवीनतम आख्या पत्र दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्यानुसार संदर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 30.06.2025 को किया गया। आख्या दिनांक 30.06.2025 एवं 23.06.2025 में अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठा स्वामी को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्राप्त दिनांक 19.06.2025 को करायी गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में ईंट भट्ठे स्वामी द्वारा प्रेषित शपथपत्र दिनांक 19.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ईंट भट्ठे पर कुछ पथाई की कच्ची ईंट रखे होने के कारण ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 09.06.2023 से शुरू किया गया था परन्तु जिला प्रशासन द्वारा किये गये औचक निरीक्षण दिनांक 14.06.2023 में प्रशासन द्वारा भट्ठे पर पानी डलवाकर फुकाई का कार्य बन्द करा दिया गया तथा भट्ठा स्वामी द्वारा दिनांक 14.06.2023 से भट्ठे का संचालन पूर्णतः बन्द करा दिया गया है। ईंट भट्ठे द्वारा प्रेषित शपथ पत्र द्वारा कुल उल्लंघनकारी दिवस दिनांक 09.06.2023 से 14.06.2023 तक 06 दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का अनुरोध किया है।

यह कि ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा बिन्दु सं0–04 में संचालन 09.06.2023 से शुरु किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु पूर्व प्रेषित आख्या में दिनांक 08.04.2023 का उल्लेख किया गया है एवं ईंट भट्ठे द्वारा प्रेषित शपथ पत्र में संचालन दिनांक 09.06.2023 से किये जाने के संबंध में प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे शपथ पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा से प्राप्त

7

आख्या/संस्तुति दिनांक 23.06.2025 एवं 30.06.2025 के अनुक्रम में ईट भट्ठा मै0 परी ईट उद्योग, खसरा सं0–50, ग्राम–ऐंच, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=50x1x250x0.5x1.0=6,250/- प्रतिदिन की दर से दिनांक 08.04.2023 से दिनांक 14.06.2023 तक कुल 68 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 4,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,25,000/- (रूपया चार लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 07-07-2025
12:30:19
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

**प्रतिलिपि** : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4